FORM No. III (प्रारूप संख्या–3) जी.सी.एम.एस.नं. ....

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सरकार

क सं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर 35 .... वर्ष 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31-8-22	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी महेश कुमार सैनी पुत्र श्री मूल चन्द सैनी व राजेन्द्र प्रसाद सैनी पुत्र श्री बद्रीप्रसाद सैनी निवासी रामपुरा तहसील खण्डेला, जिला सीकर मैसर्स श्री गिरधर वैष्णव भोजनालय बस स्टेण्ड के, सामने सीकर उप0 हुये। अप्रार्थीगण ने उप. होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 21.04.2022 को समय 1:35 पी.एम. पर बस डिपो के सामने सीकर में निरक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स श्री गिरधर वैष्णव भोजनालय में अप्रार्थीगण द्वारा पनीर व पनीर से बने भोजन का विक्रय कर रहे थे। विक्रेता को मैंनें अपना परिचय दिया व उनके नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया महेश कुमार से वर्ष 2022 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेंस वर्ष 2022 होना बताया व दिखाया फर्म पर महेश कुमार द्वारा पनीर का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उप्रलब्ध पनीर के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राति रसीद ली। नमूना जांच पनीर 1–के.जी. खरीदा जिसकी किमत विक्रेता महेश कुमार को 240रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना अवमानक पाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं प्रकरण में अप्रार्थी के कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म लिखित में कबूल किया एवं कम से कम जुर्मना लगाने का अनुरोध किया। प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–2852 खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर [illegible] के अवलोकन से प्रकरण अवमानक पाया गया। यह [illegible] लोगों [illegible] स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी [illegible] दिया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य [illegible] ती करने से बाज आये। अप्रार्थी द्वारा जुर्म कबूल कर लि[illegible] जाने से भी जुर्म कि गम्भीरता कम नहीं हो जाती है। (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट [illegible] (सीकर)	राजेन्द्र प्रसाद सैनी महेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 11:08:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थीगण को 31,000 रू का जुर्माना क़िया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 31.08.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हों।	
	अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर) (मुहर)	
	(अनिल कुमार) अति. जिला कलक्टर नीमकाथाना, सीकर (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	
22/9/22	पत्रावली प्रार्थी द्वारा जुर्माना राशि जरिए चालान जमा करवाई जाकर एक चालान कि एक प्रति पेश होने पर पत्रावली तलब होकर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चालान कि एक प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	
	(अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 11:08:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner